(363)

संख्या– / /XVIII(1)/2011–1/2006

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2011

विषयः–जनपद चमोली में तहसील चमोली के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1864/नौ–55(2007–08), दिनांक 05 दिसम्बर, 2011, शासनादेश संख्या–26/18(1)/2006 दिनांक 03 फरवरी, 2006, शासनादेश संख्या–26(2)/18(1)/ 2006 दिनांक 23 मार्च, 2006, शासनादेश संख्या–288/18(1)/2006 दिनांक 14 मार्च, 2008 एवं शासनादेश संख्या–139/XVIII(1)/2011-01/2006 दिनांक 29 मार्च, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि प्रश्नगत कार्य हेतु औचित्यपूर्ण पायी गयी लागत धनराशि ₹ 2,30,90,000/– के सापेक्ष अब तक शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 2,07,37,651/– का उपयोग कर लिए जाने के उपरान्त श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2011–12 में तहसील चमोली के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि ₹ 23,52,349/– (₹ तेईस लाख बावन हजार तीन सौ उन्नपचास मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

1. प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही व्यय सीमित रखते हुए दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
2. उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड श्रीनगर इकाई–1 श्रीनगर गढ़वाल को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।
6. कार्य सम्पादित करने आदि में अधिप्राप्ति कार्यवाही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित लागत में प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2012 तक कार्य पूर्ण कर भवन/परिसर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

–2